तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
12/8/24	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। मिमल वास्ते आदेश दिनांक 20/8/24 को पेश हो।	
20/8/24	वकुलाय उपस्थित। बहस प्राथमिपत्र उभय पक्ष पर मनन किया गया। वकील रेस्पो० का प्राथमिपत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन रहा कि अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं. 318 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है, उक्त नामा० मांग्या आ० हरदेवा बैरवा के वसीयतनामा के आधार पर वसीयतगृहिताओं के हक में खोला गया है इस नामान्तरण से अपीलांट किस प्रकार से व किस कारण से प्रभावित है, अपीलांट ने अपील में यह अंकित नहीं किया है इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन नामा० सं. 318 के विरुद्ध अपील पेश करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। जबकि वकील अपीलांट का प्रत्युत्तर रहा कि बन्दोबस्त से पूर्व की खसरा सं. 138/1 में से 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि, जिसके वर्तमान खसरा सं. 308, 309, 311, 317, 318 कायम किये गये, जिसे सरकार ने मांग्या आ० हरदेवा को पट्टा (लीज) के आधार पर काश्त हेतु दी थी। इसी प्रकार बंदोबस्ती खसरा सं. 140 में से 10 बीघा भूमि, जिसके वर्तमान खसरा सं. 315 रकबा 9 बीघा एवं 316 रकबा 1 बीघा कायम किये गये, जिसे अपीलांट के पिता	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रामसुख आ॰ नेनगा को लीज पट्टा के आधार पर काश्त हेतु दी थी। उक्त रामसुख की लीज भूमि खसरा सं॰ 316 रकबा 1 बीघा अपीलांट के कब्जा काश्त में होने के बावजूद मांग्या की अन्य लीज भूमि के साथ सम्मिलित कर दिया गया। जिसे मांग्या द्वारा वसीयत के मार्फत रेस्पो॰ के नाम नामा॰ सं॰ 318 दर्ज करवा लिया गया, जो अवैध व शून्य है यह प्रार्थनापत्र 2 वर्ष बाद अपील में विलम्ब करने के लिए पेश किया गया है, जो निरस्त किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने मे निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें ज्ञात हुआ कि ग्राम गांधीग्राम की आराजी खसरा सं॰ 308, 309, 310, 311, 316, 317 किता-6 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा पर मांग्या आ॰ हरदेवा कौम बैरवा लीजदार दर्ज रेकार्ड था, उक्त भूमि पर वसीयतनामा दिनांक 15.8.13 एवं कार्या॰ तह॰ आदेश दिनांक 04.10.13 की पालना में नामा॰ संख्या 318 दिनांक 07/2/14 वसीयतग्रहिताओं के पक्ष में तसदीक किया गया। उक्त नामा॰ सं॰ 318 को खारिज किये जाने हेतु अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है। रेस्पो॰ द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया जाकर आपत्ति प्रकट की गई कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण से पीड़ित पक्षकार नही हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामा० से पीड़ित पक्षकार होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से तथा राजस्व रेकार्ड से हितबद्ध पक्षकार प्रथमदृष्टया प्रतीत नही होने से अपीलाधीन नामा० के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 CPC भी पेश किया जाना आवश्यक है, जो नहीं किया गया। ऐसे में अपील अपीलांट चलने योग्य नही हैं। अपीलाधीन नामा० सं. 318 खातेदार मांग्या द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है। इससे अपीलांट के हित किस प्रकार से प्रभावित हुये है, यह साबित करने में अपीलांटस असफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा० तस्दीक करने में कोई विधिक त्रुटि की गई है, अपीलांटस द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये। जबकि वसीयतनामा एवं तह० के आदेश की पालना में तस्दीक अपीलाधीन नामा० प्रथमदृष्टया विधिसम्मत पाया गया है। जहां तक खसरा सं. 316 रकबा 1 बीघा भूमि का प्रश्न है, तो यदि अपीलांटस उक्त खसरे पर अपना पुराना कब्जा मानते है, तो इसके लिए अपीलांटस को सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का वाद दायर करना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाहिए था। यहां नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वे किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांटस नामा० संख्या 318 से पीडित पक्षकार नहीं होने से उन्हें हस्तगत अपील दायर करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलाधीन नामा० विधिक प्रावधानान्तर्गत तस्दीक होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांटस विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। [signature] जिला कलेक्टर; बून्दी	

जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते